

नगर परिषद, बूंदी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/BUNDI/FIRENOC/2025-26/52387

जारी दिनांक:

09-SEP-2025

वैधता दिनांक:

08-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

PUSHPENDRA SINGH

आवेदक का पता:

68 BEHIND N E B RAM NAGAR ALWAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत
आपके भवन KENDRIYA VIDYALAYA BUNDI, 00, VILLAGE GANDHIGRAM BUNDI, BUNDI, , BUNDI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृती जेवीवीएनएल या संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।
3. उक्त भवन/परिसर में बेसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृती संबंधित नगर परिषद, बूंदी विकास प्राधिकरण से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बेसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधियां संचालित की जावेगी, लाईब्रेरी/मेंस/कम्प्यूटर लेब/केफे/अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जावेगी।
4. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावेगा।
5. भवन/परिसर के संचालक/मालिक द्वारा 24 घंटे फायर फाईटर तैनात करने होंगे तथा स्वयं के स्तर पर वॉ में तीन बार फायर मॉकड्रिल आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविय में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
7. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
9. भवन/परिसर का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना होगा। अग्नि दुर्घटना होने पर संचालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन/परिसर तक पहुंच सके इसके लिये अवरोध रहित पर्याप्त खुला स्थान रखना होगा तथा भवन के आवागमन हेतु एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार होने पर आपातकालीन निकास द्वार/आपातकालीन निकास होना अनिवार्य है।
10. भूमि व भवन रहवास संबंधित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिती में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
14. भवन के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वॉ में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. संचालक/मालिक को उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना होगा इस अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।



Signed by: Dharmendra Kumar Meena
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BUNDI, Rajasthan
Date: 09/09/2025 18:53:41

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बूंदी